कार्यालय :– सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, (नैनीताल)

पत्रांक :– उ.वि.शि.प. /इन्सपायर छात्रवृत्ति/ 199 /2024–25 दिनांक 02 सितम्बर, 2024

विज्ञप्ति

भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा INSPIRE (Innovation in Science Pursuit for Inspired Research) योजना के अन्तर्गत Scholarship for Higher Education (SHE) हेतु मान्यता प्राप्त कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में Three years B.Sc., B.Sc (Hons), four years B.S. and five years Integreated M.Sc./M.S. Programme में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। मंत्रालय द्वारा इस छात्रवृत्ति के लिए अर्ह विद्यार्थियों का चयन **इण्टरमीडिएट की परिषदीय परीक्षा 2024 में सम्मिलित Top-01 प्रतिशत मैरिट प्राप्त विज्ञान विषय** के परीक्षार्थियों में से किया जाना है। चयनित विद्यार्थियों को **Scholarship for Higher Education (SHE) के तहत छात्रवृत्ति राशि रु 5,000/– प्रतिमाह (रु 60,000/– प्रतिवर्ष + मेंटरशिप अनुदान रु 20,000/– प्रतिवर्ष)** उच्च शिक्षा हेतु पांच वर्षों तक (शर्तो के अधीन) प्रदान की जायेगी। इस छात्रवृत्ति हेतु आवेदन के लिए अर्ह **(85.20% या इससे अधिक प्राप्तांक वाले)** विद्यार्थियों को उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) द्वारा **पात्रता प्रमाण पत्र** पृथक से प्रदान किया गया है। ऐसे विद्यार्थी जो इस छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करना चाहते हैं, वे मंत्रालय की **वेबसाइट http://www.online-inspire.gov.in** एवं **www.inspire-dst.gov.in** पर **दिनांक 15 अक्टूबर 2024 रात्रि 11:59 बजे** से पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छात्रवृत्ति सम्बन्धी विस्तृत सूचनायें मंत्रालय की उक्त वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट आउट की प्रति उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) को कदापि प्रेषित न करें। **परिषद् द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति प्रदान करने की कोई गारन्टी नहीं देता है, केवल आवेदन करने हेतु अर्ह बनाता है। छात्रवृत्ति का अंतिम आंवटन मंत्रालय द्वारा निर्धारित कोटे के आधार पर बनाई गयी योग्यता सूची (Shortlist) के अनुसार होता है, जिसमें परिषद् कार्यालय की कोई भूमिका नहीं है।**

2/9/2024
(वी0पी0 सिमल्टी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्,
रामनगर (नैनीताल)।

पृ.सं.: उ.वि.शि.प. /इन्सपायर छात्रवृत्ति/ 199 /2024–25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि –: निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, इन्सपायर अनुभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि उक्त छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ समस्त संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों को आवश्यक दिशा–निर्देश देने का कष्ट करेंगे।
3. निदेशक (मा.शि.)/सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, देहरादून।
4. सम्पादक, दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक हिन्दुस्तान एवं उत्तर उजाला को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को अपने समाचार–पत्र के ऐसे पृष्ठ में, जिसका प्रचार–प्रसार पूरे उत्तराखण्ड में हो में 10X8 से.मी.साईज में राजकीय दरों पर प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे। **विज्ञप्ति प्रकाशित होने के उपरान्त समाचार पत्र की एक छायाप्रति के साथ देयक दो प्रतियों में जिला सूचना अधिकारी से प्रमाणित करवाकर** भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

2/9/2024
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्,
रामनगर (नैनीताल)।